

सटजस चाट'र

आप सभी के समझ सटजस चाट'र - आपका पसंददा एयरलाइन के बारे में आप जो भी जानना चाहते थे

उसका एक संप 'संदभ' गाईड, ततु करते हुए हम" बहुत खुशी हो रहे हैं। आरक्षण से लेकर चैक-इन, बगजै, सुरक्षा वहनयम, लाउंज सुवधाएं, यात्री ाएं तथा फाइ-बैक ंणाल तक एअर इंसर्विवाएं, उड़ानगत संबंधाधत सूचनाएं इसमें डया स संस्रत "प म" उपलोध ह

आरक्षण

हमारे कब'यूटरकृत आरक्षण ंणाल पर वव का सभी मु"य आरक्षण ंणालय से सुगमता से एडसेस किया जा सकता है जो एक ह थान से हमारे प्लूे नेटवक पर कसी भी उड़ान के लिए आरक्षण संभव बनाता है। कृपया हमारे आरक्षण कायालय, अनुमोदित वेब एजेट या फर 24X7 संपक के से संपक कर।

आरक्षण करते समय कृपया अपने आवास, वजनस तथा विशेषकर अपने मोबाइल नंबर सहित याताम क

सभी 'वाइंटस पर अपने थानीय संपक नंबर का उलख अवश्य कर" जहां आपसे संपक किया जा सकता हो।

इससे आपका उड़ान के शेड्यूल में होने वाले कसी भी के संबंध में आपको आपके आरक्षण वकार के परवतनकाड' में उपलोध संपक नंबर पर सूचित किया जा सके गा।

कृपया आरक्षण करते समय उपलोध वकपड' में से अपनी पंसद के कर" जिससे हम" उड़ान भोजन का उलख" आपको आपका पंसद का भोजन परोसने में सहायता होगी।

सामान्य प 'कराया टकट' याता आरंभ होने का तथ से एक वर्ष विशेष कराया टकट के लिए वैधह

वैधता कराया वकार पर नभर करती है जिसका उलख टकट पर होगा। आरक्षण में परवतन करने पर

आंतरगत शुपक किया जा सकता है जो कराया वकार व वव्य करेगा। अंतरापड्य टरे ३०€ पर नभर स

पर यात्री थान से 24 घंटे पहले तक अपनी सीट का चयन कर सकते ह। कृ आरक्षण तथा ताछ के लिए पया हमारे नंबर पर कॉल कर": पछ

भारत

टोल नंबर:

1860 233 1407 (सभी एमटीएनएल/बीएसएनएल लाइने तथा अधिकतर नजी टेलकॉम समोबाइल/लल्ललाइन नंबर से । ऑपरेटर क

य सए/कनाडा

य सए टोल नंबर: 1800 223 7776

कनाडा टोल नंबर: 1800 625 6424

य

44207 760 3290 (\थानीय)

नांस

पहरे रस: 0033-1-76545741 (सुबह 9 बजे से राह 9 बजे) (\थानीय)

जमनी

कफट: 0049-69-12009821(सुबह 9 बजे से राह 9 बजे) (\थानीय)

आरुलया

आरुलया टोल नंबर: 1800 247 463

सगापुर

सगापुर: 00-65-62259411 (\थानीय)

सभी वदेशिथतथाना से कॉल करने वाले कॉलस के लिए (अंतरराष्ट्रीय चाजबल कॉलस)

भारत से इतर हकसी भी लोकेशन से कॉल करने वाले कॉलस +91-22-25818515 तथा +91-44-66921455 नंबर के माध्यम से भी एआई संपक के से बात कर सकते है। इन नंबर पर का गई कॉलस उनके कॉलस

को उनके संबंधित टेलिकॉम सेवा वदाता ववारा लागू अंतरराष्ट्रीय कॉल दर के अनुसार वभारत का जाएंगी।

कॉल सटस ईमेल आईडी

ईमेल आईडी: Call.del@airindia.in

ईमेल आईडी: Call.bom@airindia.in

ईमेल आईडी: traveldocs@airindia.in-हटकट : जार करने/एफएफपी को अयतन करने क को पन माइलज

हए याद तावज का के वड वतयां फारवड करने के हए

तथा अधिकतर हजती टेलिकॉम आपरेटर क

ववट पलायर स ना

टोल नंबर:

1860 233 1407 (सभी एमटीएनएल/बीएसएनएल लाइन स)

मोबाईल/ललाइन नंबर से

ई मेल आई डी

सामाव्य पछताछ:

flying-returns.ai@icplloyalty.com

हसग माइस/रेो के हट:

retros.ai@icplloyalty.com

माइलज 'वा स के उपयोग की ताछ: redemptions.ai@iclpoyallty.com
इस संबंध पछ

हसुवर एज बस: silveredge.ai@iclpoyallty.com
मडे

डायल-ए-हटकट:

डायल-ए-हटकट फोन पर संबंधित आवश्यकताओं के हलए आसान और ' उपाय है। डीएट
हटकटका सुवधाप का

व्योग कर आप अपनी एअर इंडिया हटकट बक कर 'े हडट काड' से उसका भुगु तान भी कर सकते
हैं और आपका

ई-हटकट यात्रा रसीद (आईटआर) आपको ईमल कर द जाएगी। यह सेवा घरेलू यात्रा के
हलए एअर इंडिया

के कॉल सेंटर पर टोल नंबर 1860 233 1407 पर 24X7 उपलब्ध है। अधिक जानकारी के हलए
कृपया हमारे कॉल सेंटर से संपक कर।

डायल-ए-पैकेज

डायल-ए-पैकेज- एअर इंडिया 'ेज फोन पर बुक करने का एक आसान व ' चैनल है। ये सेवा
हॉलडे पक सुवधाप

घरेलू यात्रा के हलए एअर इंडिया के कॉल सेंटर पर टोल नंबर 1860 233 1407 पर 24X7
उपलब्ध है।

बस कॉल करके अपना होलडे पैकेज बुक कर, 'े हडट काड' से भुगतान कर और आपके
पैकेज दावावज (हटकट,

होटल म ठहरने तथा संबंधित सेवाओं से जुड़े आईडी पर हलवर कर हदए
वाउचर) आपका ईमल अधिक जानकारी के हलए कृपया जाएगी।
हमारे कॉल सेंटर से संपक कर।

ऑनलाइन बुकंग

हमारे वेबसाइट <http://www.airindia.in> के माध्यम से ऑनलाइन हटकट खरदने का
आसान और सुवधाजनक तरका।

हमारे वेबसाइट आपके रवारा एअर इंडिया के सवर पर भज 'ी गई सभी प्रकार का इतिगत सूचना
काय

को एिषट करने के हलए इंडिया 'ेटड' िसयोर सॉकेटलेयर (SSL) तकनीक का
व्योग करती है। अधिक

योर के हलए कृपया हमारे शत एवं हनबंधन देख।

आप आनी पार् के हलए इयक एवं बच सहत नौ (9) यात्रे तक के हलए ऑनलाइन
वेबसाइट से हलए बुकंग कर।

यह बुकेंग उड़ान अस्थान से 2 घंटे से 360 दिन पहले तक का उड़ान के लिए का जा सकती है।

आप भुगतान के लिए मास्टर के क्रेडिट कार्ड/कुछ अन्य डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते

ह एमएस का का उपयोग वतमान म केवल भारत से याहा के लिए किया जाता है।
बक के संबंध म

यौरा

हमारा शर्त एवं नबन्धन म हदया गया है। एक बार भुगतान वीकार हो जाने पर आपको आपका बुकेंग का

पुष्टिकरण वात हो जाएगा। एक ई-टिकट जनरेट किया जाएगा संी यौरा याही को ई-
तथा ई-टिकट हलक बध

मल कर हदया जाएगा।

ऑनलाइन बुकेंग हेपडेक (सोमवार से शनिवार 0930 बजे से 1730 बजे भारतीय

मानक समय) टेलफोन - 011-24624074/011-24624075

ईमेल: ecommerce@airindia.in

मोबाइल बक #स

एअर इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से सभी घरेलू सेक्टर पर शी, 'बुकें ग क ह जा आसान तथा सुवधाप सकती ह।

बस एप डाउनलोड काजिए और अपने ह्म का योजना बनाइए ए'पल एप \टोर तथा गूगल 'ले \टोर दोनः मउपलंथ ।

साथ ले जाए जाने वाले

दातावजे घरेलू सेवाएं

घरेलू याहा के हलए आपका ई-हटकट का एक सॉफ्ट/हाड' कॉपी के आतरत आपको अपनी पहचान के हलए'नबन म' से कोई एक हदखाना होगः

याही का फोटो पहचान पः अथातः लाइस'स, काड, वोटर काड, हव\याथा' पहचान पासपोर्ट', ढाङ्का पन पः

हमलः पहचान पः फोटो के हडट काड, एयरलाइस पहचान पः, एयरलाइन \वारा हदया गया कोई फोटो पहचान

पः काड, सरकारः एज'हसयः \वारा जारः हकया गया कोई अब्य फोटो काड।

हम'नल म' वकश करने के हलए \माट' फोन, स अथवा लेपटॉस आहद म' ई-हटकट क ह सॉफ्ट हबि'डग टेबलः

कॉपी इमज वहः होनी चाहए जो एयरलाइन \वारा जारः का गई हो।

और आधक जानकारः के हलए कृपया हमारे आरःण काया'लय/आधकृत ढेवल एज'ट से संपक कर'।

अंतरराःय सेवाएं

कृपया सुन'चत कर' हक आपके याहा द\तावेज सहः हः। एअर इंडिया या आपके ढेवल एज'ट को इस संबं'धमआपको सहयोग करने म' खुशी होगी।

याहा के दौरान आपको अपना हटकट, पासपोर्ट', वीजा तथा अब्य संगत याहा द\तावेज हदखाने हगः। इसलए कृपया इवह' ऐसे \थान पर रख' जहां से यह आसानी से हदखाए जा सक'।

हकसी भी वकार का आनयामतता के हलए वाहक का कोई दायव नहः होगः।

काउंटर बंद होने का समय

आपका उड़ान का नधा'रत व\थान समय आपका हटकट पर हदया गया है। चैक-इन के हलए देर से पहुँचने वाले याहाहयः के हलए उड़ानः म' हवलबब नहः हकया जाएगा तथा ऐसे मामला म' एयरलाइन का कोई िजबमेदारः नहः होगी।

काउंटर बंद करने संबंधी आवश्यकताएं कुछ एयरपोर्टों पर
अलग हो सकती हैं जानकारों से लें ताकि उड़ान के लिए देर से
रिपोर्ट करने से बचा जा सके।

इसके संबंध में पहले ह2

घरेलू सेवाएं

घरेलू उड़ानों के लिए काउंटर बंद होने का समय सामान्यतः उड़ान स्थान के 45 मिनट पहले का है।

यदि आप किसी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के टर पर यात्रा कर रहे हस्तो काउं टर, स्थान समय स घरेलू स

60 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे।

कृपया चैक-इन, सुरक्षा औपचारकताओं को पूरा कर गेट पर पहुंचने के लिए समय से पहले समय पर बोर्डिंगपोट करना सुनिश्चित करें।

उड़ान स्थान के 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद कर दिए जाते हैं

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चैक-इन काउंटर उड़ान स्थान से 60 मिनट पहले बंद कर दिए जाते हैं

सुरक्षा, इमीग्रेशन तथा कस्टम डलयरस जैसी स्थान प ' औपचारकताओं को पूरा करने के लिए यात्रियों से

अनुरोध है कि वे उड़ान स्थान के कम से कम तीन घंटों प ' चैक-इन काउंटर' पर रिपोर्ट करें।

उड़ान स्थान के 20 मिनट पूर्व बोर्डिंग गेट बंद कर दिए जाते हैं।

चैक-इन टिप्स:

घरेलू सेवाएं

एयरपोट पर सामान्य चैक-इन के आंतरगत घरेलू उड़ानों के लिए आप चैक-इन के अर्थ वकल्प में से भीचयन कर हमारे रियल टाईम चैक-इन वकल्प वारा एयरपोट का चैक-इन लाइन से भी बच सकते हैं

वेब चैक-इन

आप एअर इंडिया का वबसाइट www.airindia.in के माध्यम से चैक -इन कर अपनी सीट का ऑनलाइन चयन

करते हुए अपने कार्यालय या घर में बोर्डिंग पास का प्रिंट ले सकते हैं यदि आपके पास डिपोजिट करने के लिए

सामान है तो आपसे अनुरोध है कि एयरपोट पर चैक-इन बंद होने से पर्याप्त समय प ' एयरपोट पर रिपोर्ट करें।

क्या है चैक-इन

कुछ एयरपोर्टों पर वयं चैक-इन मशीनों के माध्यम से चैक-इन सेवा उपलब्ध है जिससे आप वयं चैक-इन कर मशीन से अपना बगैज पास वात कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में केवल घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध है। यदि आपके पास डिपॉजिट करने के लिए सामान है तो एयरपोर्ट पर चैक-इन बंद होने से पूर्व कृपया हमारे चैक-इन एजेंट से संपर्क करें।

टेली चैक-इन

एयर इंडिया टेली चैक-इन के यात्री तथा बस विजनके पास पि Pटकृत आरक्षण हो तथा जो चैक-इन
हैटवॉट प्लायर में

सामान के हबना यात्रा कर रहे हैं, वे छह मंजूर एयरपोर्ट-हदुल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै
नई, हैदराबाद तथा बंगलूर से हमारे घरेलू उड़ान के लिए टेली चैक-इन सुविधा का
लाभ उठा सकते हैं

यह सुविधा हमारे 24 X 7 टोल फ्री नंबर 1860 233 1407 पर उपलब्ध है। कृपया अपने
बोर्डिंग पास का

हैट आउट एयरपोर्ट पर हमारे चैक-इन काउंटर से वापस कर लें।

अव्यय जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल
कर लें।

हैट चैक-इन

हैट बुकिंग ऑफिस \वारा पिटु Pटकृत बुकिंग धारक यात्रियों के साथ यात्रा कर
रहे हैं, को जो केवल हचयानत मंजूर शहर में हैट चैक-इन सुविधा
ऑफर का जाती है।

इसके अतिरिक्त, हदुल में को एक्सप्रेस लाईन के कुछ स्टेशन पर चैक-इन
एयरपोर्ट सुविधा आरंभ की गई सुविधा/बैंगेज पाप
है।

मोबाइल चैक-इन

आप अपने मोबाइल हर्डसेट से <http://flyai.mobi> पर लॉग ऑन कर विजससे आप न केवल अपनी उड़ान के लिए
चैक-इन कर सकेंगे बल्कि आप अपनी पसंद का सीट, समयावधि सूचना का जानकारी तथा
कॉन्फिर्मेट सॉफ्ट

सना भी वापस कर सकेंगे। वतमान में यह सुविधा केवल घरेलू उड़ान पर छह मंजूर
एयरपोर्ट हदुल, मंबई,

चेन्नै नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा बंगलूर के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए
उपलब्ध है। कृपया एयरपोर्ट

पर हमारे चैक-इन काउंटर से पास का आउट ले लें।
अपने बोर्डिंग हैट

अंतरराष्ट्रीय

सेवाएं वेब चैक-

इन

कृपया हमारे वेबसाइट www.airindia.in पर संपर्क करें तथा अपनी सीट का चयन
ऑन-लाइन करें।

अंतरराष्ट्रीय य स्त टर पर कनफमश

निलप ऑनलाइन जारी का जाएगी तथा एयरपोर्ट पर यात्रा दस्तावेज क सत्यापन के बाद बोर्डिंग पास जारी/बगजेज वीकृत किया जाएगा।

बैगेज

चैड बैगेज भरते का पूर जानकारी के रएल पर संपक कर।
बग हेले य

<http://www.airindia.in/checked-baggage-allowances.htm>

आतारत बैगेज अभास के हेले हेनबनलखत य रएल पर सपक कर।

<http://www.airindia.in/excess-baggage.htm>

खेल उपकरणों के लिए भार सीमा

घरेलू सेवाएं

गोडफ उपकरण

एक गोडफ बैग तथा एक जोड़ी जूते वाले हकट पर प्रति हकट 6 किलो आंतरिकत बैगेंज के बराबर भार लगाया जाएगा। ऐसी केवल एक हकट को उड़ान का श्रेणी का निःशुल्क भार सीमा के साथ मिलाया जा सकता है। यदि इसे निःशुल्क भार सीमा में सम्मिलित नहीं किया गया तो यह भार लागू होंगे। यदि ऐसी गोडफ हकट का भार 15 किलो से अधिक होगा तो प्रति हकट सामान्य आंतरिकत बैगेंज भार भारत किया जाएगा।

नि/वाटर कांग उपकरण

कांग उपकरण हकट में 1 जोड़ी का और एक े या 1 1 जोड़ी जूते और एक जोड़ी टैडड जोड़ी ज

वाटर का रखी जा सकती है। 3 किलो आंतरिकत बैगेंज के लिए लागू दर पर भार लगाया जाएगा। ऐसी

कांग हकट को निःशुल्क भार सीमा में सम्मिलित किया जा सकता है किंतु निःशुल्क भार सीमा से अधिक भार होने पर भार उपरोक्तानुसार लगाया जाएगा। ऐसी केवल एक हकट को निःशुल्क भार सीमा में सम्मिलित करने का अनुमत है। आंतरिकत कांग हकट के कारण अधिक भार होने पर सामान्य आंतरिकत भार दर भारत का

जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय

सेवाएं गोडफ

उपकरण

एक गोडफ बैग तथा एक जोड़ी जूते वाले हकट पर प्रति हकट 6 किलो आंतरिकत भार के बराबर भार लगाया

जाएगा। ऐसी केवल एक हकट को उड़ान का श्रेणी का निःशुल्क भार सीमा के साथ मिलाया जा सकता है। यदि इसे निःशुल्क भार सीमा में सम्मिलित नहीं किया गया तो यह भार लागू होंगे। यदि ऐसी गोडफ हकट का भार 15 किलो से अधिक होगा तो प्रति हकट सामान्य आंतरिकत भार भार भारत किया जाएगा।

नि/वाटर कांग उपकरण

कांग उपकरण हकट में 1 जोड़ी का और एक े या 1 1 जोड़ी जूते और एक जोड़ी टैडड जोड़ी ज

वाटर का रखी जा सकती है। 3 किलो आंतरिकत भार के लिए लागू दर पर भार लगाया जाएगा। ऐसी कांग हकट को निःशुल्क भार सीमा में सम्मिलित किया जा सकता है किंतु निःशुल्क भार सीमा से अधिक होने पर भार उपरोक्तानुसार लगाया जाएगा। ऐसी केवल एक हकट को निःशुल्क भार सीमा में

सिबमालत करने का अनुमान है। आंतरराष्ट्रीय ङकट के कारण अधिक भार होने पर सामान्य आंतरराष्ट्रीय भार दर भारत का जाएगा।

एंगल कट

एंगल कट को 4 किलो आंतरराष्ट्रीय भार के बराबर माना जाएगा। ऐसी कट को अनुशुक्त भार सीमा में सिबमालत किया जा सकता है तथा इसे सिबमालत करने के कारण भार सीमा से अधिक भार होने पर उपरोक्तानुसार भार लगाया जाएगा। एंगल कट के 15 किलो से अधिक भार होने पर सामान्य आंतरराष्ट्रीय भार दर भारत का जाएगा।

- खलाड़ी का पहचान दस्तावेज़। सरकार एजेंसी या प्रायोजित करने वाले डलब द्वारा जारी
फोटो पहचान पत्र द्वारा पहचान के साक्ष्य को प्रमाणित किया जा सकता है।
- वैध लाइसंस/फॉर आम तथा गोला बांद का अनुमति।
- पोस्ट डलब के अध्यक्ष या सचिव द्वारा जारी लिखित दस्तावेज के आधार पर आयु तथा गोला बांद के वहन का अनुमति जिससे शूटिंग इवेंट के लिए प्रायोजित किया गया हो।

और जानकारी के लिए कृपया अभिमत रूप से हमारे कार्यालय/एयरपोर्ट पर संपर्क करें।

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

हमारे अंतरराष्ट्रीय सदस्यों पर भी उपरोक्त नियम लागू होंगे। तथापि अंतरराष्ट्रीय टैक्शन पर ऐसा वहन

स्थानीय कानून तथा आवश्यक परिमर्त के अधीन होगा। अंतरराष्ट्रीय सदस्यों पर एअर इंडिया द्वारा वार्षिक

फायर आम' तथा/या 50 कारतूसों के लिए 100 य सड़ी (या स्थानीय कर के आंतराष्ट्रीय समतुल्य राशि) का

हस्ताक्षर भार लगाया जाएगा।

आधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे कार्यालय/एयरपोर्ट पर यात्रा से पूर्व संपर्क करें।

हड्ड बैग (कैरी-ऑन बैग)

कृपया सुनिश्चित करें कि केबिन में ले जाए जाने वाले बैग (हड्ड बैग) का परिमाण 55 स.मी. (22 इंच) x 35 स.मी. (16 इंच) x 20 स.मी. (8 इंच) से अधिक न हो तथा वजन 8 किलो से अधिक न हो।

बच्चे भी वयस्क के समान केबिन बैग ले जाने के हकदार होंगे।

जब किसी वयस्क के साथ कोई शिशु (सीट या निःशुल्क सामान सीमा में सामान ले जाने का हकदार नहीं) हो

तो कैरीकोट या पर्यटन से कोलै'सिबल पुरुष चयन/पुलर ले जाने का अनुमति होगी। इसी केबिन में स्थान

उपलब्ध होने पर या चैस बैग के "प म" ले जाया जा सकता है।

निर्धारित परिमाण को पूरा नहीं करने वाले बड़े आकार के केबिन बैग को केबिन में ले जाने का अनुमति

नहीं होगी। ऐसे बैग को हटा दिया जाएगा तथा नियमानुसार होल्ड म" रख दिया जाएगा।

केबिन बैग या बैग के एक पीस के आंतराष्ट्रीय, आपको निम्नलिखित इतिहासगत मदों से बग पक एक मद को

सुरक्षा विनियम के अधीन अपने साथ ले जाने का अनुमति होगी:

- महिला का एक हड्डबैग
- एक ओवरकोट या रैप
- एक रग या कंबल
- कैरी मरा या दूरी बीन
- उड़ान के लिए उचित मात्रा में पाय सामग्री
- शिशु साथ होने पर उड़ान के दौरान शिशु भोजन तथा शिशु को रखने वाला बॉटल, फॉर्किट, फाइंग
- यात्री के ब्योग के लिए कोलै'सिबल इन्फ्लेक्शन या बसाई खप का जोड़ा या ठोस, याद यात्री इन पर

नभर हो।

- वाकंग िटक
- छतर(फोिुडग)
- उडान के दौरान आवयक दवाईयां जैसे अथमा इव्हेलर आहद
- एक लैपटॉप

सुरक्षा कारण/सरकार विनियम के कारण कुछ शर्तें जैसे जन्म और कमी से संबंध होने वाले उद्देश्य से या करना वाले या करने को कोई हथकड़ी ले जाने का अनुमत नहीं है। कृपया शर्तें संबंधी विमान विनियम जांच कर लें।

आरामदायक यात्रा के लिए हम सूचित करते हैं कि अधिकतर वातुओं आपके चैक-इन बगैज से रखी गई

हैं

विमान में उड़ान के दौरान अपने साथ या यवान/महत्व 'वातुओं को अपने पास रखें' या अपने यात्रा संबंधी महत्व बैग में ले जाएं

कृपया यात्रा से पहले स्थानीय विनियम का जांच करें।

हथकड़ी सुरक्षा विनियम :

नागर विमानन सुरक्षा अधिनियम, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार एअर इंडिया विमान में जाने वाले

यात्रियों को अपने पास या अपने हथकड़ी बगैज में शक्ति शक्ति सहित दवाइयां, इनहेलर तथा शिशु आहार को

छोड़कर शक्ति, जैल या एयरोसोल डिजिटल पेंसिल, शक्ति सनटैन लोशन, शक्ति, टूथपेस्ट, हेयर जैल, हेयर शक्ति, शक्ति

कांस्टेनट शक्ति या उतनी ही गैर आवश्यक वातुओं जो 100 एमएल से अधिक हैं, ले जाने का अनुमत नहीं है।

इन वातुओं को स्पष्ट पारदर्शी एक लीटर आकार के 'लाइट टैग में' ले जाना होगा तथा इनका निष्कासन

विमान तथा सुरक्षा जांच का जाएगा।

भारत में स्थान के एयरपोर्ट से खरीदें 2 लीटर वातुओं को विमान में ले जाने का अनुमत तभी दें

- विशेष पहचान वाले बैग (डिजिटल 'ड्रूट' का नाम तथा 'ड्रूट' वातुओं (लिखा हो) के साथ निष्कासन संलग्न हो।
- यात्रियों द्वारा खरीदें गई 'ड्रूट' वातुओं का संरक्षण विमान के लिए 'ड्रूट' वातु तथा सुरक्षा शक्ति

उत्तरदायी होगी तथा वे सुनिश्चित करेंगी कि विमान के गेट में संबंधित यात्रियों को वातुओं का डिलीवर कर दें जाएं।

यदि यात्रियों को यात्रा के किसी 'वाइंट पर या किसी गंतव्य पर दूसरे उड़ान में स्थानांतरित किया जा रहा है

या ऑनलाइन 'वाइंट पर विमान से उतरा जा रहा हो जहां उड़ान एक बार फिर सुरक्षा

जांच से गुजरना हो तो भास्तसे खरदा गया 100 km.hल. से अधिक ड्रूट व् हलिडवड
तथा जैल ले जाने का अनुमात नहं होगी। तथाप
थानीय कान के तहत व्थान के एयरपोट पर उस देश से खरद गई वतुओं को ले
होगी। जाने का अनुमात

बैगेज टैक्स

सामान को अनुचित ढंग से वहन करना कई परेशानियों का कारण बन सकता है।
निम्नलिखित टैक्स उपयोगी रहेंगे:

कृपया सुनिश्चित करें कि आपको निम्नलिखित चैड बैगेज /कैरिऑन सामान सीमा तथा
ऐसी वस्तुओं के वहन पर
व्याप्तबंध का जानकारी है। आपको सीमा से अधिक भार को आहारत बैगेज के "पम"
व्यतिरिक्त कया जाएगा।

अपने पर अपने नाम तथा पते ल ठाक प्रकार से लगाएं तथा पछला उड़ान के ल को
बैग का लब टैग तथा लब
निर्काल
दा।

दसरे लोग के ऐसे सामान का वहन नहीं करें जिसे आपको जानकारी नहीं है।

अपनी दवाई, कार/घर का चाबी अपने पास/अपने बग म रखना सुनिश्चित करें।

वाहक किसी नाजुक या कठोर वस्तुओं या मूल्यवान या महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे मू
ला, जेवर, सुवर्ण, कैमरा, र या फोटोवाफक उपकरण, पर्याय पेपर, क्लिप, एनटैक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स/वीडियो/कंप्यूटर, हेयरल

शुपकार वक आफ आट, अतिवर्ती पुरतक व काशन, पाइडुलप, बजनस द्वावेज,
मूल्यवान धातु और
अन्य सामान म यवान वाणिज्यिक मूल्य का वस्तुओं का किसी भी प्रकार का हानि/क्षति या
हल्लवर म दरे
का उत्तरदायी नहीं होगा।

याद रखें/म/तेल चैड बैगेज म ले जाए जा रहे ह त
उन्हें वॉटर कंटेनर म या पूर तरह से ससु त
'लाइटक बैग करें। सकेस के अंदर टूटे हुए कंटेनर या लिडवड रसाव का
म फ्लोगी। उत्तरदायी एयरलाइन नह

कुछ मामल म सुरक्षा या स्थानीय सीमा शुपक कारण से आपको अपने बैगेज
का पहचान या दावा
करना अपेक्षित होगा।

निष्पत्तबंध वस्तुएं

"प से के बने बने अनुमत
नहीं है।

हमारे उड़ान म यात्रा करते हुए कुछ वस्तुएं इतिहासगत

व9व म बढ़ते सुरक्षा उपाय को देखते हुए तथा भारत सरकार द्वारा जारी वनयम के अनुपालन म, यह सुरक्षा कामय को बोर्डिंग गेट म हब बैगेज म ऐसी वतएंगु मलती ह तों उधे जंत कर लया जाएगा और याहय को लौटाया नहं जाएगा।

आम जानकारी के लिए ऐसी वतओं का सनयम लागू हगे। वी नीचे द गई है। यह सूची वतार से नहं है तथा इसम वतमान

हाथ के सामान म" वहन न ङकए जा सकने वाले सामान

पयिङतगत सामान

लाइटस', नुकाळे चोच वाला धातु का कच्ची, असल लगने वाले ढखलौना हाथयार।

नकु ङले हाथयार

बाँङस कटर, बफ काटने का कुपहाड़ी/आइस ङपङस, चाकू (मोटे ढलेड वाले चाकू को छोड़कर अय सभी लंबाई एवं वकार वाले चाकू), मीट ङलवर, रेज़र टाइप ढलेड जैसे बाँङस कटस', उपयोग म" आने वाले चाकू, काङङम न रखे हुए रेज़र ढलेड, लो कन इनम" सपट रेज़र, तलवार, कृपाण सिबमालत नहं हङ

खेल का सामान

बसबाँल बुला, धनुष व तीर, ङकेट बुला, गोपुङ ङलब, हाँका ढस िँटङस, ङय , िँका िँटङस, लङ पल

पोलस, िँपयर गन

बंदकूएवं अिङन शङङ

गोला बाँद, बीबी गन, कबङेड एयर गन, अिङन एवं अिङन शङङ के पलेट गन, परू 2 शङङ, बंदकूङिङन शङङ लगने वाला कतकूङत, िँटाटर पाटस, तरह ङपङतौल।

औज़ार

फरसा एवं कुपहाड़ी, कैटल वॉड (मको शयङ पर अंकुश लगाने वाला डडं ङ), बरमा, हथौड़ा, ङङल (काँडलेस पोटरबल

पावर ङङस सहत), आङ ढेस पोटरबल पावर आङ कस (च9मे कङ मरबमत ङकट के पचकस (काँडल सहत), ङङ

को छोड़कर), औज़ार (ङरवच तथा ङचमटा सहत लो कन इन तक सीङमत नहं), ङरवच एवं ङचमटा

माशलआटस/ आङमरङ/ा के सामान

ङबलङ ङलब, ढलैक जैक, ङास नकुस, कु बातङू स, जाङवङी/ङमच' िँङे, माशल आटस ङ के हाथयार, नाइट िँटकस,

ननचाङस, माशल आटस/ आङमरङ/ा के सामान, िँटनगन/शौकंग ङडवाइस, ङोइंग िँटास

हाथ के सामान एवं चके -इन सामान म" भी न वहन ङकए जा सकने वाले सामान

वॉफोटक सामग्री

डलयर गन, गन लाइटस' एवं गन पाउडर, वॉफोटक सामग्री, लॉलिंग कै 'स, डायनामाइट, आतशबाज़ी, पलयर

(कसी भी "प म"), हथगोला, 'लॉलिंग वॉफोटक, वॉफोटक का वातवक सी बतकृत

कबड गैस

कबड गैस" (अत्यंत शीत, प्रचलनशील, गैर प्रचलनशील तथा जहरीला) जैसे गैस, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, एथिलीन गैस"डस'

प्रचलनशील पदार्थ'

जैसे ऐरोसोल (इसका उपयोग अथवा साधन संबंधी सामग्री सीमित मात्रा में ले जाने को छोड़कर), धन (खाना बनाने के धन तथा अन्य कोई प्रचलनशील धन सहित), गैसोलिन, गैस टैंक, लाइटर पल ड, मोबाइल, टैबलेट और तथा पेंट थिनर, वाहक कृतियां

ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ'

जैसे लकड़ चग पाउडर, परे ओक्साइड

जहरीले तथा संक्रामक पदार्थ'

जैसे काटनाशक, वीडियो क्लिपर और जीवित वषणु पदार्थ

रेडियो एक्टिव

सामग्री संश्लेषण

जैसे एसड, एकेएस, सेल बैटारियां (इलेक्ट्रोलाइट को छोड़कर), ओवन अथवा पारा, वट म" लगी ब्र स्र डलनस'

अपेक्षित सामान

चुंबकीय, आग्नेय, अथवा अवाहक सामग्री। अलाम' लगे ठीकके स अथवा अटैची

एअर इंडिया, रिलाइं वाहक तथा स्थानीय कानूनम का नीति के अनुसार पहले र कु छ इट नग अनुमोदन लक

अपेक्षित सामान का वहन किया जा सकता है :

इंफ्लेमेटरी/नॉन इंफ्लेमेटरी बैटारिया से चलने र, पॉई आइस, पोटैशियम डिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान

सामान खोना, अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

वाहत होना अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

अंतरराष्ट्रीय वहन का देयताएं (कुछ अपवाद को छोड़कर) दिनांक 20.03.2009 को 2009 के एडट सं. 28 के माध्यम से संशोधित भारतीय वायु परिवहन अधिनियम 1972 में संशोधित तथा वायु परिवहन अधिनियम 1972 में संशोधित तथा वायु परिवहन संशोधन अधिनियम, 2009 को अधिसूचित करने वाला भारत सरकार

वारा जारा ना सं. एस.ओ.1283(ई) के अनुसार हुए समझौते वारा स्थानित अधिनियम अधिसूचित है। एवं सीमाओं क

कृ पया वहन कऱ शत" देख" ।

घरेलू सेवाएं

घरेलू वहन का देयताएं, भारतीय वायु परिवहन अधिनियम, 1972 का धारा 8 के तहत समय-समय पर जारी

आधस नाओं तथा नागर हवामानन मंडलालय \वारा जारी हदनांक 17 जनवर,2014 का आधसचनू सं

एस.ओ.142(ई) के अनुसार देयताओं के संबंध में उल्लिखित नियम तथा

सीमाओं के अधीन है। कृपया वहन का शत देखें।

सामान खोना

यदि सामान खो जाता है तो कृपया आगमन हॉल में एअर इंडिया कर्मियों से संपर्क करें तथा इसका जानकारी एक 'रिपोर्ट' फाइल का जाएगी तथा अनुवर्ती कारवाई के लिए संदर्भ संख्या के साथ उसका वात दू जाएगी।

नोट : यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यवामान अथवा महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे आभूषण, नकद है कि म योय

वस्तुएं, हानिमय दस्तावेज तथा करसी का वहन अपने चड़े ड बगजै म न करा एयरलाइन नाजुक अथवा

नाशवान वस्तुओं, धन, गहने, चांदी का सामान, कैमरा, र अथवा वसत इलेक्ट्रॉनिक/वाइयो/कॉम्प फोटो/आफक

इंसुलेशन, हानिमय दस्तावेज, ऋण पत्र, पैतृक वस्तुओं पुरातन वस्तुओं, शिल्पकृतियां, कलाकृतियां,

अव्यवस्थित पुरातन अथवा अकाशन, पांडु दस्तावेज, मयवान धातुओं तथा अव्यवस्थित हथियार, हथियार

मयवान वस्तुओं अथवा वाणिज्यिक वस्तुओं के खो जाने/हानि होने या हलचल म विलंब होने पर रिजर्मेदार नहीं होगी।

हानि सामान

बैग वस्तुओं का सुरक्षा के लिए होते हैं सामान्य हानि के दौरान आपके बैग में छोटे कट, खरोंच, हानि

अथवा हानि लग सकती है। हमें अवगत है कि आप यह समझते हैं कि इस प्रकार का अथवा नीचे दे गई

हानि के लिए हम रिजर्मेदार नहीं हैं

- बैग का टूट हुई टांगे/पाहए अथवा ह ल
- ओवर पैड/ओवर साइज़ बग को हुई हानि
- पुल ह ल को हुई हानि
- नाजुक अथवा नाशवान वस्तु का वस्तुएं
- पुल ह ल खो जाने पर
- हानि का कारण टूटियां

हानि सामान को ठीक कराने के व्यास किए यदि बैग/जुतना अधिक खराब हो चुका है कि

उसका मरबमत नहइ हो सकती है तो उसे बदलने का उपयुऒत डयव\था का जाती है।
¼हत\त/चोरइ हुए सामान के हलए कृपया आगमन हाल म" एअर इंहडया कर्मा से संपक करे
तथा इसका जानकार द"।

नोट : याहएय को सूचत हकया जाता यवान अथवा महइवप ' व\तुएं जैसे आभषू ण, नकद
है हक म यो#य

व\तुएं, हकानमय द\तावज़ तथा करसी का वहन अपने चडे ड बगजै
म" न करा एयरलाइन नाजुक अथवा
नाशवान व\तुओं, धन, गहन, चांद क का सामान, कै मरा, र अथवा
इलैऒाहक/हवाडयो/कब'य फोटो=ाफक

इिऒव'म"ट, हकानमय द\तावेजे, ऋण पए, पतक व\तुओं पुरातन व\तुओं
हशुपकृहतय, कलाकृहतय,
अ\वतीय पु\तक अथवा क्काशन, पांडु द\ता , म यवान धातुओं तथा अय ऐसी ह2
हलप, हबज़नस वज़

म यवान व\तुओं अथवा वाएणियक व\तुओं के खो जाने/¼हत\त होने या हडलवरइ
म" हवलब होने पर
िजबमेवार नहं होगी।

द्वलंब से ढात सामान

सामान हलनले म" देरल होने पर आगमन हॉल म" एअर इंड डया कमां से हलल" तथा इसका जानकार द"। इररपोट' दज' का जाएगी तथा अनुवतां कारवाई के हलए संदभ" सं"या के साथ हरपोट' का ढात आपको दू जाएगी।

अंतरराष्ट्रय सेवाएं

अंतरराष्ट्रय याहलाओं म", यह याहली हवदेश का याहला कर रहा है तथा सामान हलनले म" 24 घंटे से आधक कंदेश होती है तथा उस सामान म" यह याहली के अपने कपड़े भी हइ तो अंतररम इयय के हलए 50.00 जीबीपी

अथवा \थानीय मु\ा म" समक% राहश का ढातपूत' भारत म" यह राहश 3,000/- भारतीय "पए है। का जाती ह

घरेलू सेवाएं

घरेलू उड़ाने पर यह सामान अगले हदन/या बाद म" ढात होता है तो कै जुअल/फॉमल कपड़े जैसे शट', पट,

नाइट स आहद का खरद के हलए 50 ढातशत राहश का ढातपूत' का जाएगी बशत' यह राहश 2000/- "पए स

आधक न हो।

नोट : याहला को सलू चत हकया जाता यवान अथवा महदुवप ' व\तुएं जैसे आभूषण, नकद है हक म यो#य

व\तुएं, हकनमय द\तावज तथा करसी का वहन अपने चड़े ड बगजै म" न करण एयरलाइन नाजुक अथवा

नाशवान व\तुओं, धन, गहने, चांदे का सामान, कै मरा, इलैक्\ाहनक/हकडयो/कब'य र अथवा फोटो\ाफक

इंडिव'म"ट, हकनमय द\तावेज, ऋण पए, पतक व\तुओं पुरातन व\तुओं हशुपकृ हतयए, कलाकृ हतयए,

अ\वतीय पु\तक अथवा ढकाशन, पांडु द\ता , म यवान धातुओं तथा अढ्य ऐसी ह2 हलप, हबजनस वज

म यवान व\तुओं अथवा वाएणियक व\तुओं के खो जाने/हकत\त होने या हडलवर म" हवलब होने पर

िजबमेवार नहं

होगी। के वल बगै

ेज का वहन

अंतरराष्ट्रय

सेवाएं

काग" के "प म" भजे जाने वाले सामान म" के वल याहली के पहनने के हनजी कपड़े तथा

नज्ी सामान रखे जाएग

जो नननलखत शत के अधीन है -

याे के पास जहां तक का टकट है के वल उसी थान (के वल एयरपोट) तक के लिए

शपमट दर लागू होगी। याे को बैगेज म रखे सामान का जानकारी देने की होती

है तथा डपैच तथा कटस के लिए अपे त सभी

दतावज पूरे करने आवश्यक है।

बैगेज डयिडतगत प से याे वारा अथवा अपने एजट वारा कटस से डलयर करायो जाएगा।

यह नणय एयरलाइन का होगा ेज का वहन कस उडान म कया जाएगा।

क बग

बैगेज के हर पीस पर अंदर एवं बाहर दोनों तरफ गद लगे एअर इंडया के लेबल चपकाने आनवाय है

पालतू पशुओं का वहन

घरेलू सेवाएं

हानन न पहुंचाने वाले छोटे पालतू पशु जैसे कुत्ते, बिलियार्थ तथा पशु विज्ञानके लिए माध्यम तथा

रेबीज़ टिकाकरण अमाण पेशात है, उनका वहन एआई का घरले उड़ाने के केबन म अथवा काग होउड म

पालतू पशु के माहलक के दाहयुव पर तथा वाहक कश शत के अधीन कया जाएगा।

यह वहन उड़ान के कमांडर के अनुमोदन के अधीन है।

पालतू पशु को नधातरत आकार (कै नल का आकार 18"x18" x12" से अधिक न हो) के हवादार बग/कै नल म

उपयुक्त "प से वहन करना होगा। केबन म वहन करने के लिए पालतू पशु का वजन कंटेनर सहत शकलोम से अधिक नहं होना चाहिए। बड़े आकार/आधिक वजन के पालतू पशुओं का वहन काग होउड म कया जाएगा।

अत उड़ान दो पालतू पशुओं को ले जाने का अनुमत है तथा ऐसे पशुओं के साथ यात्रा करने वाले यात्री बकुका गई केबन अेणी का अंतिम पिक डत म बैठे गे।

कंटेनर पर पालतू पशु के नाम का लबल लगाया जाएगा।

कंटेनर म नमी सोखने वाल मेट बछाई जानी आवश्यक है।

पालतू कुत्ते का मुंह उपयुक्त "प से बंधा हो एवं वह जंजीर से बंधा हो। पालतू

पशु/ गाइड डॉग को यात्री सीट नहं द जाएगी।

पालतू पशुओं के वहन के अतरत अंभार लिए जाएंगे तथा इवह नःशुक सामान सीमा के तहत नहं लिया जाएगा।

तथाप, अशुत गाइड डॉग जिसका मुंह उपयुक्त "प से बंधा हो तथा जिससे जंजीर से बांधा गया हो तथा

जिसका वाय/टिकाकरण अमाण-पेशात हो, तो उसे नःशुक "प से वहन उस िथात म कया जा सकता है जब वह पालतू कुत्ता गिपटहन/बाधर यात्री को सहायता करने के लिए अशुत हो तथा वह यात्री ऐसे

अशुत कुत्ते पर नभर हो।

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

पशु जैसे कुत्ते, बिलियार्थ, पशु तथा अय फालतू पशु जब उपयुक्त "प से बंद ह तथा उनके लिए माध्य

वाय तथा टिकाकरण अमाण-
पेशात, अवश

परामत तथा
अवश

अथवा ांकि ट करने वाले देश
वार अपे अत

अवयव वाक्य
दस्तावेज़ वाक्य

वाक्य तब ही एयरलाइन ' अनुमति वाक्य होने पर एयरलाइन के विभाग के अधीन उबह

वहन के लिए वीकार कया जाएगा।

साथ जा रहे पालतू पशु के वहन के लिए सामान्य आंतरराष्ट्रत सामान भार लिया जाएगा तथा पशुओं एवं उनका ट्रेनर को नःशुपक सामान सीमा म" सिबमालत करने का अनुमात नहं है।

तथाप इन पालतू पशुओं का वहन नःशुपक "प से कया जा सकता है याद वह शशत कुता गिपटहन अथवा बाधर याेी को सहायता देने के लिए शशत हतथा वह याेी उस शशत कुते पर नभर है बशत यह तय कसयी "प से मणत व समाथत हो। कुता याद उपयुत "प से हारनेस है तो उसे के बन मले जा सकते हलके कन उसे सीट नहं द जा सकती।

पालतू पशु वहन के लिए तभी वीकार कए जाएग" जब वे उपयुत "प से बद कए गए हे तथा उनके लिए माष्य वलय तथा टकाकरण मण- पशमत तथा अथवा ांजि ट करने वाले प, वश वश देश अपे त

अष्य ात हो तो उह" वहन करने वाले याेी के दायव पर तथा ाओं के अधीन दतावज एयरलाइन का अफ

वहन के लिए वीकार कया जाएगा।

याद कसी देश अथवा े" वश करने अथवा अवतरण के लिए इन पालतू पशुओं को मना कया जाता है तो इसके लिए एअर इंडया उतरदायी नहं होगी।

नीचे दोहराई गई मौजूदा नीत गंतय देश तथा सभी माग" म" आने वाले देश के कानयम के अधीन एअर इंडया वारं चालत सभी अंतररापुय उाने पर लागू होगी।

मौजूदा नीत:

कुते, बिलय तथा पयः जैसे पालतू पशुओं के लिए नबनालखत शत पर गंतय देश के कानयम क

अनुसार के बन म" अथवा उह" चैक-इन बगेज के "प म" एअर इंडया का उाने पर अनमा त द जाती है।

- नधा"रत आकार के मुलायम केल म" ठक ढंग से ले जाया जा रहा हो। हवादार बैग आकार 18"x18" x12" से (के नल का उयादा नहो)।
- पालतू पशु का मंह ठक से बधा हो तथा वह जंजीर से भी बधां होना चाहए एवं कं टने र सहत पालतू पशु का भार 5 कलोम से उयादा नहं होना चाहए। पालतू पशु को आंतरराष्ट्रत भार देकर ले जाया जाएगा तथा इसे नःशुपक सामान भूते म" शांमल नहं कया जाएगा।
- वैध वलय एवं रेबीज टकाकरण मण-प।
- वश अथवा ांजिट हेतु देश वारं द गई अनुमात तथा अष्य दतावज। अपे त वश

- पालतू पशुओं को उसके माहलक के हरे पर वीकारा जाएगा तथा यदि किसी देश अथवा ३५६ क अंदर बंध करने अथवा अवतरण के हलए इन पालतू पशुओं को मना हकया जाता है तो इसके हलए एअर इंडिया उतरदायी नहं होगी।
- गंतइय थाने पर संगरोध (डवरे "टाइन) डयवथाओं सहत सभी सरकार क\टम तथा व\दय संबंधी आवयकताओं के अनुपालन के हलए पशु का माहलक ह2 िजबमदार होगा।
- वहन के हलए वीकार हकए गए पशु को चोट, बीमार अथवा मृ यु के सभी जोखम का उतरदायी पशु के माहलक का होगा।
- याही से एयरलाइन का ३५६तपू त' हेतु घोषणा ल2 जाएगी।

- माहलक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पालतू पशु संगरोध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पशुओं को माहलक के खच पर गंतव्य स्थान पर अलग (डवरेटाइन) रखा जाएगा। संगरोध (डवरेटाइन) अकाध म परवतन हो सकता है तथा गंतव्य स्थान पर पशु अधीन होगा।
आधिकारण के अवक

नहहन अथवा बाधर याहय के साथ जाने वाले शशत कुत अथवा सवस कुत को सामाव्य नःशुकु सामान भृते के अलावा नःशुक ले जाया जा सकता है।

कमांडर का सहमात पर अत वमान आधकतम 2 पशुओं-पालतू या सवस कुत, का अनुमात है।

अत उडान के वल एक सवस कुत को अनुमात द जाएगी।

अपवाद:

लंदन को/से/से होकर जाने वाले उडान के लए- पालतू पशुओं को के हबन म अथवा साथ ले जाने वाले सामानम अनुमात नहं है।

महय-पूव से ढािजु ट करने वाले उडान के लए- जीवत पशु को न ह के हबन म और न ह होड म समकते तौर पर ले जाया जाएगा। तथाप उवह सामान के प म भारत से गुफ तक ले जाने का अनुमात है।

भारत-यू सए/कनाडा-भारत माग पर पालतू पशुओं को ले जाना

भारत-य सए/कनाडा-भारत माग पर एअर इंड या वारा व्वाहलत नॉन टॉप उडान म पालतू पशुओं को ले जान

का अनुमात नहं द जाएगी। इसम एक माह अपवाद के वल नेहहन या बाधर याहय के साथ जाने वाले सवस कुत का है िजवह के हबन म ले जाया जा सकता है।

पालतू पशुओं को ले जाना-यकू

वमान के के हबन म ए/बिुलय/पालतू पशुओं तथा अव्य तनधार े म, अथात एलएचआर कु त्त जीव को य क

अंदर अथवा बाहर या एलएचआर से ले जाने का अनुमात नहं है।

एलएचआर एयरपोट को पहले से सूचत करके के वल एयरवे हबल के माहयम से ह कु ए/बिुलय/पालतू पशुओं तथा अव्य तनधार जीव को ले जाने का अनुमात है।

लाउंज सडु वधाएं

अंतरराडुय नटवक पर, एअर इंड या मंो शहर के एयरपोट पर एजीडु यूहटव श्रेणी के याहय/चनेु गए

एफएफपी डलब सदस्य को लाउंज सुवधाएं बदान करती है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर, एअर इंडिया लाउंज सुवधाएं अथम अेणी, एजिडयूटव अेणी के याहएय तथा चुनदं ा एफएफपी डलब सदस्य को बदान करती है।

नई हदुल, मुंबई, लंदन तथा ब्यूयाक म" एअर इंडिया के अपने लाउंज हब

इन लाउंजः म" अखबार तथा मैगज़ीन, मनोरंजन के लिए टैवी और वीडियो, दूर भाष, फ़ै
डस, इंटरनेट सुवधाएं

इत्यादि मौजूद है। यहां यात्री आराम कर सकते हैं तथा जलपान कर सकते हैं। इयत्क
वे अपनी उड़ान के

स्थान का इतजार कर रहे होते हैं।

एअर इंडिया का प्लाइंग रिटर्न कायम

एफएफपी कायम म" 4 त्रय सदयता मौजूद है:

- एअर इंडिया प्लाइंग रिटर्नस (बस टायर)
- तीन सर्वकृप टायर – हसुवर एडज डलब (एसईसी), गोडन एडज डलब (जीईसी) तथा द महाराजा
डलब (टीएमसी)- विशेष "प से हमारे सबसे बडवट पलायर के लिए बनाए गए हैं।

एफआर माइंस अजित करने के अनगनत अवसर

सदय वारा एअर इंडिया, एअर इंडिया का कोड शयर उड़ान, एअर इंडिया एयरलाइन पाटन
रे का उड़ान पर

यात्री करने पर तथा ग्लोबल वीवाम पाटनस, िजनम" एयरलाइन, हटेल, लाइफटाइल,
कार रटल, दर सचारे

तथा काशन के मुख नाम शाहमल ह का सर्वाओं का उपयोग करने पर वे एफआर माइंस अजित करने क
पाए होते हैं।

एफआर माइंस का ऑटोमेटिक रिकॉइंग

सदय के माइंस वतः रकाड होने के लिए उवह" अपनी उड़ान के समय तथा अब्य वीवाम
पाटनरे के साथ

बुकिंग कराते समय अपना प्लाइंग रिटर्न सदयता संया दनो होगा तथा चैके -इन कराते
समय अपना सदयता

काड दिखाना होगा। सदय के को यह सुनिश्चित करना होगा कि बुकिंग कराते समय
उनका नाम वही होना

चाहए जो उनके प्लाइंग रिटर्न सदयता काड पर दिया गया हो।

प्लाइंग रिटर्नस एकाउंट म" अपनी सभी गतिवधय के देखने के लिए कृपया अपने
एकाउंट म" लॉगइन कर

तथा 'मरे ा एकाउंट सडशन' म" जाएं।

आधिक जानकारी के लिए www.airindia.in > flying returns पर लॉग ऑन कर

यात्री सेवाएं:

हमनालखत यात्रय के यात्री आरंभ होने के षेशन, मागथ षेशन तथा गंतय पर सभी
कार का सहायता

दान का जाती है:

इंजलचेर याही :

याहीके को पहले से सूचित करने पर इंजलचेर वदान का जाती है। इंजलचेर :-

र याहीके का दो अंशों में होती

- नॉन एबल एंड याही अथात् वे याही जो प्यार से र पर निर्भर हैं इंजलचेर
- एबल एंड याही अथात् वे याही जो सहायक का मदद से चल सकते हैं

बच्चे लाने चल सकने वाले, नॉन एबल एंड याही को एअर इंडिया का चिकित्सा सेवाएं विभाग से मिलाने से लाना होगा तथा उनके साथ एक एंकोट होना चाहिए।

इंजलचेर का सहायता चाहने वाले याही को उड़ान में अपनी बुकिंग करते समय इसका (इंजलचेर) मॉडल करनी होगी तथा अपने स्थान से पूर्व इसका पुष्टिकरण करा करना होगा।

गभवती माताएं

गभवती माताओं को 32 हफ्ते के गर्भ तक याही का अनुमत दे जा सकती है। बुकिंग करते समय यह गर्भ

32 हफ्ते से ज्यादा तथा 35 हफ्ते तक का हो जाता है डॉक्टर से याही के लिए वार्ड तो याही को अतिरिक्त अर्ध-पूरा अंतुत करना होगा।

वय याही

वय याहीके को एयरपोर्ट पर सभी सहायता वदान का जाती है। वयमान तक इंजलचेर सहायता के लिए बुकिंग के समय अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

अकेले याही कर रहे अर्धक 12 वर्ष का आयु तक के बच्चे जो अकेले याही कर रहे हैं उन्हें अर्धक माना जाता है। 5 वर्ष का आयु से कम आयु के बच्चे को एक अतिरिक्त परिचारिका के साथ याही करनी होगी। अकेले याही कर रहे अर्धक के लिए बुकिंग करते समय परिजन अथवा कानूननी अभिभावक द्वारा अकेले याही कर रहे अर्धक के 'वहन के लिए अनुरोध' तथा घोषणा पत्र जमा करना होगा ताकि एअर इंडिया का

ऑफिस स्थान, मार्ग, टैक्शन तथा गंतव्य स्थान पर बच्चे के साथ रह सके।

नॉन-मोडल उड़ान

एअर इंडिया का सभी उड़ान आईसीएओ संकल्प का अनुपालन करते हुए नॉन-मोडल उड़ान हैं

उड़ानगत सेवाएं

घरेलू उड़ाने

हमारे अधिकतर उड़ानें आधुनिक उड़ानगत मनोरंजन स्थानों से सुसज्जित होंगी जो ऑडियो तथा वीडियो चैनलों के प्रदान करती हैं।

उड़ान के समय/अवधि के अनुसार, मौजूद प्रदान के अनुसार उड़ान में सामान्यतः जलपान/भोजन/पेय प्रदान किए जाते हैं।

इमीनान से पढ़ने के लिए कई उड़ानें में स्थानीय के अखबार तथा उड़ानगत प्रकाशित मौजूद भाषा/अंग्रेजी/हिंदी होती हैं।

अंतरराष्ट्रीय सेवाएं

यात्री हडमांड पर 350 घंटे ऑडियो वीडियो का आनंद उठा सकते हैं हर एक यात्री के लिए कुछ न कुछ है। फ़िल्म, गेब्स, खबर तथा संगीत। अत्याधुनिक थ्रु 500 उड़ानगत मनोरंजन स्थानों में शोर नहीं होता।

वह लंबी दूरी का उड़ानें में यात्री को आरामदायक बनाती हैं। सभी सुविधाएं में एक यूएसबी पोर्ट है जिससे यात्री

डिजिटल कैमरा, एमपी3 प्लेयर तथा मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर सकते हैं।

हमारे में भारतीय अखबार तथा प्रकाशकों के साथ-साथ इंग्लिश/अमेरिकन जनसंचार भी मौजूद होते हैं।

संबंधित माग पर जर्मन, स्पेन, इटालियन तथा जापानी बच्चों के लिए - हमारे अखबार भी मौजूद हैं। मस, विशेष प्रकाशकों तथा गेब्स भी हैं।

उड़ान के समय/अवधि के अनुसार उपलब्ध प्रदान के अनुसार उड़ानें में सामान्यतः जलपान/भोजन/पेय के अनुरूप

प्रदान किए जाते हैं। हमारे में बेबी (शिशुओं) के लिए भोजन के सीमित प्रदान भी उपलब्ध हैं।

हमारे में बोर्डिंग देने से इंकॉर, रक्षण तथा प्रबंध

बोर्डिंग देने से इंकॉर करने, उड़ान के रक्षण तथा उड़ानें में प्रबंध के कारण एयरलाइन द्वारा यात्री को

प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का माता डीजीसीए द्वारा लागू किए गए 6 अगस्त, 2010 के नगर प्रमानन आवश्यकताओं (सीएआर), धारा 3- एयर ट्रांसपोर्ट सीरीज़ 'एम'

भाग IV- अंक 1 जो 15 अगस्त, 2010 से

वर्धनी कर हदए गए तथा समय-समय पर जारी हकए गए अवय अनुदेश के अनुसार वारं वारं हनयंहत काजाएगी ।

कृ पया संदभ' के हलए <http://www.dgca.nic.in/cars/D3M-M4.pdf> हलक दख"े ।

शिकायत एवं फरियाद हल करने के लिए

शिकायत, फरियाद तथा वाद करने तथा उसका पारितोषिक के लिए एक सरल तथा फाइलबैकपलॉथ है। सुधवधजनक वधिया

हमसे कैसे संपर्क करें

1. आप हमारे वेबसाइट www.airindia.in > contact us > customer support > feedback form. पर लॉग ऑन कर सकते हैं फाइलबैक फॉर्म जमा करने पर एक स्वचालित पारितोषिक सिजसम

'युक्त संदभ' संस्था द्वारा दिया गया होगा अपने आप वाद हो जाएगा। इस यूनिट संदभ' संस्था का मदद

से आप फाइलबैक का विवरण जान सकते हैं

2. आप अपनी शिकायत/फरियाद के निवारण के लिए हमारे किसी भी क्षेत्रीय या क्षेत्रीय सेवा अधिकारी से

भी संपर्क कर सकते हैं तदनुसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्री सेवाएं कार्यालय को संबोधित

क्षेत्र में विभाजित किया गया है जिन्हें तहत संबोधित हमारे वेबसाइट

www.airindia.in > contact us > contact details देखें ।

भारत तथा साक देश

पूर्व क्षेत्र	: ialcser@airindia.in
उत्तर क्षेत्र	: ialcsnr@airindia.in
दक्षिण क्षेत्र	: ialcssr@airindia.in
पश्चिम क्षेत्र	: ialcswr@airindia.in
मुख्यालय	: ialcshq@airindia.in

एशिया पैसिफिक, ग्रेफ, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका, यूरोप तथा कनाडा, यूरोप

HQ. TFCSVCS@airindia.in

3. उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध सुझाव फॉर्म के माध्यम से हमारे सभी आरक्षण कार्यालय/एयरपोर्ट प्रभारी सुझाव/शिकायत दर्ज की जा सकती है
4. उड़ान भरते समय आप उड़ान में उपलब्ध फाइलबैक फॉर्म भर सकते हैं तथा उसे हमारे कार्यालय को दे सकते हैं

शिकायत निवारण प्रणाली:

सभी शिकायतों का निवारण 03 कार्य दिवसों के अंदर कर दिया जाता है तथा 21 कार्य

हृदय के अंदर अंतम

उत्तर भजने के व्यास किए जाते हैं। यह मामले में और जांच की आवश्यकता होती है तो कम से कम समय में उसे सुलझाने के व्यास किए जाते हैं।

यहद आपको लगता है कि आपका शिकायत/फरयाद पर सहकार से गौर नहं कया गया है तो आप एअर इंडया के ननलखत आधकारय से संपक कर सकते ह

नोडल आधकार

सुधी दपका जसूजा

सहायक महाबंधक (वाणय - ाएं), एअर इंडया
यातायात सव

ई-मल : tshq@airindia.in

HQ. TFCSVCS@airindia.in

अपीलाय आधकार :

धी संजीव कु मार

कायपालक नदेशक

(काग) एअर इंडया

ई-मल : tshq@airindia.in

HQ. TFCSVCS@airindia.in